—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थीगण
2. श्री अजय सिंह चौहान ——अप्रार्थी संख्या 1 व 3
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ——अप्रार्थी संख्या 5 व 6

निर्णय :—

दिनांकः—

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है—

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 बीएलडब्ल्यू खाता सं. 22/31 के प.नं. 46/241 (14) किला नं. 6, 7/1, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 1.897 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

3 यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्रार्थीगण के दादा मघाराम पुत्र जालूराम से प्राप्त कृषि भूमि है। जो प्रतिवादी सं. 1 को

मछाराम से जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। चित्रप्रति नामान्तरण आदेश चक 8 बीएलडब्ल्यू बाबत नानकराम सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थीगण के पड़दादा मघाराम से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.2 जो कि प्रार्थीगण के पिता है। उक्त पैतृक कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.2 का 1/4 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 7, 8 का अप्रार्थी सं. 2 के साथ ब.हि.ब. का हिस्सा निहित है। तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 7, 8 जो कि प्रार्थीगण की सगी बहने है उन्होंने अपना हिस्सा मौखिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में छोड़ा हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.2 को प्राप्त होने वाले 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जिसकी प्रार्थीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि उक्त पैतृक कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.2 को 1/4 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा है। पक्षकारान के मध्य सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण अपने हिस्सा का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार खाता विभाजन करवाने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं.2 जो कि प्रार्थीगण के पिता है। उक्त पैतृक कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 जो प्रार्थीगण के दादा है के नाम है जो अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाजायज दबाब में है। अप्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक मे है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा व प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा से महरूम हो जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 8 बीएलडब्ल्यू खाता सं. 22/31 के प.नं. 46/241 (14) किला नं. 6, 7/1, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 1.897 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री अजय सिंह चौहान अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल वाद है अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के बाद तामिल हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 08.07.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 15/04/2026 . सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा